न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 177/2017

बउनवान

सीताराम उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री धूलीलाल जाति–मीणा निवासी–मऊ तहसील मॉगरोल, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 08.07.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 20.07.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम मऊ, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1020 रकबा 0.52 हैक्टर किस्म–सिवायचक बारानी पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 832/–रूपये अर्थदण्ड एंव तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त भूमि किस्म बारानी द्वितीय नहीं है बल्कि बंजड है तथा उक्त भूमि पर अपीलांट का पिछले 10–15 वर्ष से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों की गफलत से इस भूमि की किस्म बंजड के बजाय बारानी द्वितीय दर्ज की है। इसका दावा अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मॉगरोल में धारा, 88,89, आरटी एक्ट का जेरकार है। वर्तमान में अपीलांट के पास मात्र तीन बीघा भूमि है तथा भूमिहींन काश्तकार की परिभाषा में आता है। यह भूमि खाते की भूमि से लगवां है, जिसपर सर्वप्रथम उसका हक अधिकार बनता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने अपना जवाब पेश किया था जिसमें यहीं तथ्य लिखे थे किन्तु नायब तहसीलदार ने इन तथ्यों की ओर गौर न करके भारी भूल की है।

साथ हीं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को धारा–22 का नोटिस देकर तलब किया है जबकि धारा–22 में नायब तहसीलदार को कार्यवाहीं करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल का आदेश दिनांक 20.07.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व धारा–22 कॉलोनाइजेशन के तहत अतिक्रमी मानकर कार्यवाहीं की गयी है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल को धारा–22 के तहत कार्यवाहीं करने के अधिकार नहीं है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये नोटिस पर अपना जवाब अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इसका कोई उल्लेख नहीं किया ना हीं जवाब पर कोई गौर किया। अपीलांट छोटी जोत एवं भूमिहींन काश्तकार है। विवादित आराजी अपीलांट के खाते की भूमि 3 बीघा के लगवां बंजड भूमि है जो अपीलांट भूमिहीन होने से आवंटन/नियमन योग्य है। उक्त आराजी पर अपीलांट का लगभग 10–15 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, सजायाब आदेश को निरस्त किया जाकर, विवादित आराजी अपीलांट के खाते दर्ज करने की सिफारिश की जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 198/17 निर्णय दिनांक 17.03.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अपीलांट विवादित आराजी ख0नं0 1020 रकबा 0.52 है0 ग्राम मऊ तह.मॉगरोल पर अतिक्रमी होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी सिवायचक बारानी भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में मिसल नम्बर 198/17 निर्णय दिनांक 17.03.2017 से भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है तथा अपीलांट ने भी अपील में अतिक्रमण होना स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 02/17 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.08.06 10:29:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: